

(4)

कुष्ठ रोगियों को पुर्नवास भत्ता

Rehabilitation Allowance to Lepers

उद्देश्य

सामाजिक सुरक्षा

पात्रता

ऐसे कुष्ठ रोगी जो किसी सरकारी/अर्ध सरकारी/निगमों/बोर्डों इत्यादि में कार्यरत न हो तथा स्वास्थ्य विभाग के उपचाराधीन हो। भत्ता प्राप्त करने के लिए आयु तथा आय सीमा लागू नहीं होगी।

सहायता

550 /—रु० प्रतिमाह

प्रक्रिया

रोगी को भत्ता प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा जिसके साथ स्वास्थ्य विभाग से कुष्ठ रोग उपचाराधीन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

सम्पर्क—अधिकारी

जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी।